

कर्म अहकाम  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

जोनी बंनान मिहालसिह

प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक

नम्बर 63

सन-2022

तारीख दृश्य

दृश्य या कार्रवाई का अधिकारित जना

पत्र में उल्लिखित  
 प्रमाणों में पूर्ण  
 दृश्य या तारीख  
 में जारी हो

28.06.2022

वकील सायल ने यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण सूक्ति का सन्तुलन अपूर्णतः शक्ति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 57/57 की कुल 63250 हैक् में से 3163/12650 हिस्सा व रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 69/63 की कुल 12650 हैक् में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 56/43 की कुल 30360 हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज में से प्रार्थीयान के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथारिथति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 28.06.2022 को पेश हो।

  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नोहर

28/6/22  
 प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण सूक्ति का सन्तुलन अपूर्णतः शक्ति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 57/57 की कुल 63250 हैक् में से 3163/12650 हिस्सा व रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 69/63 की कुल 12650 हैक् में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 56/43 की कुल 30360 हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज में से प्रार्थीयान के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथारिथति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 28.06.2022 को पेश हो।